

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग

क्रमांक: प.2 (1) पर्यटन/2022

जयपुर, दिनांक: 27/05/2022

अधिसूचना

राजस्थान पर्यटन इकाई नीति-2015 की कार्यशील अवधि दिनांक 31.05.2022 के पश्चात आगामी दो वर्ष के लिए दिनांक 31.05.2024 अथवा नवीन पर्यटन इकाई नीति जारी होने, जो भी पहले हो, तक बढ़ाई जाती है।

यह अधिसूचना माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान से प्राप्त अनुमोदन (आई.डी. संख्या CMO/F22001734 दिनांक 17.05.2022) के अनुसरण में जारी की जाती है।

आज्ञा से,



(दिनेश कुमार जांगिड)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय पर्यटन मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय पर्यटन राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. आयुक्त, उद्योग, अप्रवासी भारतीय एवं ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, उद्योग भवन, जयपुर।
14. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. निदेशक राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित करावें।
16. समस्त जिला कलक्टर.....
17. निदेशक, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
18. नोडल अधिकारी, सिंगल विण्डों विलयरेंस सिस्टम, ब्युरों ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, उद्योग भवन, जयपुर।
19. उप निदेशक (ए.सी.पी.), पर्यटन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना।
20. समस्त संबंधित पर्यटन सूचना केन्द्र/स्वागत केन्द्र,.....
21. समस्त महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र,.....

संयुक्त शासन सचिव